





















# नाजायज संबंध के कारण भाई की कर दी गला रेत कर नृशंस हत्या मीरगंज के पांच लोगों की प्रयागराज में मौत

○ सनसनीखेज वारदात में देस्त भी था शमिल, अत्रेपित गिरफ्तार

अवधनामा संबंधदाता

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के उसरौनी गांव की दलित बस्ती के बगल बगल में सोमवार को युवक का बताया जाता है। भूतक के पिता द्वारा दी गई नृशंस हत्या में घटना रेतक की अंजाम देने वाला कोई पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार कर दिया है। जैविक वाटनास्थल पर खनन कैला हुआ था। बर्ती बाल आसन सहित चारू, नायलान की रसी और तंबाकू भरी चुनौती फेंकी गयी। शब्दों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शब्दों की तलाश कर रहे थे। साथ में इरफान भी खोजबीन कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि उत्तर बाग में एक शब्द सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा घटनास्थल पर पहुंचे तो शब्द देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगे। शिनाख के बाद पुलिस ने आग की तरह चारों ओर फैल गई। पढ़ोसी गांव कर्पसियां के शिराज अहमद अपने छोटे भाई इरफान के साथ बाइक से रविवार की साथ लगभग साढ़े पांच बजे पक्षी नरेशपुर बाजार गये थे। देर रात उनका भाई देवर भाषी के बीच अंतर्गत संबंध



लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शब्द को पीस हेतु भेज दिया। घटना की तलाश कर दिया है। भूतक के बाद शब्द की आग की तरह चारों ओर फैल गई। पढ़ोसी गांव कर्पसियां के शिराज अहमद अपने छोटे भाई इरफान के कारणिया के रूप में कर ली गई। उत्तरी गांव के कुछ ग्रामीण भूमि कुमार सिंह सीओ शाहगंज अजीत शब्द पड़ा देख शो मचाने लगे। धीरे

उत्तरी गांव के कुछ ग्रामीण भूमि कुमार सिंह सीओ शाहगंज अजीत शब्द पड़ा देख शो मचाने लगे। धीरे

## कार्यालय ग्राम पंचायत बनहरा, वि.ख. खुटहन, जौनपुर

### अल्पकालीन निविदा/टेन्डर

वित्तीय वर्ष 2024-25 मनरेगा/पंचम राज्य वित्त आयोग 15वां ब केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तर्णाली स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुकूलन-सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता दिनांक 25-06-2024 से 01-07-2024 तकार्यालय दिवस में अपराह्न दो बजे तक ग्राम प्रधान पंचायत कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते हैं। दिनांक 02-07-2024 को निविदा हेतु गठित कमिटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष दोपहर 12:00 बजे तक खोली जाएगी। निविदा फॉर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्रकलन)	शियुल रेट के अनुसार (निम्नतमदर पर)
1	इंट, 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी/एस.ओ.बी. इंट	प्रति हजार	
2	सीमेट, शौचालय में कार्य करने वाले समूह का मानदेय	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी.	
4	स्टोन बलास्ट, डाला गिट्टी, परथर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक इंट गिट्टी 20 एम.एम./42 एम.एम। अन्तर्णाली स्थल खड़ंजा, गोशाला केन्द्र	प्रति घन मी.	
5	सरिया विभिन्न साइज	प्रति कुन्तल	
6	करक/एसबेस्टर सीट, पैनट आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग	
7	पैकर्स ब्लाक इंट/इण्टरलाकिंग इंट/जागेडा इण्टरलाकिंग इंट	प्रति हजार	
8	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/स्ट्रीट लाईट/ हाईमास्क सोलर लाईट	प्रति नग	
9	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री		
10	ह्यूम पाइप 150 एम.एम. 300 एम.एम. 350 एम.एम. 600 एम.एम. 800 एम.एम. NP3	प्रति मी.	
11	टाइल्स विभिन्न साइज	प्रति वर्ग मी.	
12	गिट्टी की भाई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी.	
13	सफाईकर्मी स्वच्छता कीट/सेनेटाइजर, इस्टबीन सहित अन्य संबंधित सामग्री प्रिकास्ट कंकरीट बेच	प्रति नग	
14	कटीला तार एवं ईंगल/प्रिकास्ट कंकरीट बेच	प्रति नग	
15	जिम के संबंधित सामग्री/इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री/रिबोर	प्रति नग	
16	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति घन मी.	
17	चूना, पेट इत्यादि स्वच्छता हेतु कुड़ादान व्यवस्था	प्रति नग	
18	बालू पैटिंग व प्रचार-प्रसार इत्यादि	प्रति वर्ग मी.	
19	विडियो कैमरा, दिशासूचक बोर्ड/पब्लिक अडेस सिस्टम	प्रति नग	
20	गौशाला में चूना-चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झुला व अन्य सामग्री		
21	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी		
22	S.L.W.M. अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मियों का मानदेय		

प्रतिबंध एवं शर्तें: सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जाएगी अथवा नहीं। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर्ता द्वारा 50 रुपये के स्टाम्प ऐपर पर भरना अनिवार्य होगा सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्य कर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

सन्तोष यादव  
ग्राम प्रधान- बनहरा  
वि.ख. खुटहन, जौनपुर

दीपक कुमार यादव  
सचिव- बनहरा  
वि.ख. खुटहन, जौनपुर

## कार्यालय ग्राम पंचायत मूलकपुर, वि.ख. खुटहन, जौनपुर

### अल्पकालीन निविदा/टेन्डर

वित्तीय वर्ष 2024-25 मनरेगा/पंचम राज्य वित्त आयोग 15वां ब केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तर्णाली स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुकूलन-सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता दिनांक 25-06-2024 से 01-07-2024 तकार्यालय दिवस में अपराह्न दो बजे तक ग्राम प्रधान पंचायत कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते हैं। दिनांक 02-07-2024 को निविदा हेतु गठित कमिटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष दोपहर 12:00 बजे तक खोली जाएगी। निविदा फॉर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्रकलन)	शियुल रेट के अनुसार (निम्नतमदर पर)
1	इंट, 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी/एस.ओ.बी. इंट	प्रति हजार	
2	सीमेट, शौचालय में कार्य करने वाले समूह का मानदेय	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी.	
4	स्टोन बलास्ट, डाला गिट्टी, परथर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक इंट गिट्टी 20 एम.एम./42 एम.एम। अन्तर्णाली स्थल खड़ंजा, गोशाला केन्द्र	प्रति घन मी.	
5	सरिया विभिन्न साइज	प्रति कुन्तल	
6	करक/एसबेस्टर सीट, पैनट आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग	
7	पैकर्स ब्लाक इंट/इण्टरलाकिंग इंट/जागेडा इण्टरलाकिंग इंट	प्रति हजार	
8	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/स्ट्रीट लाईट/ हाईमास्क सोलर लाईट	प्रति नग	
9	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री		
10	ह्यूम पाइप 150 एम.एम. 300 एम.एम. 350 एम.एम. 600 एम.एम. 800 एम.एम. NP3	प्रति मी.	
11	टाइल्स विभिन्न साइज	प्रति वर्ग मी.	
12	गिट्टी की भाई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी.	
13	सफाईकर्मी स्वच्छता कीट/सेनेटाइजर, इस्टबीन सहित अन्य संबंधित सामग्री प्रिकास्ट कंकरीट बेच	प्रति नग	
14	कटील		









# कार्यालय नगर पंचायत धौरहरा, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक- 1310/न0पं0धौ0/एसबीएम/2023-24,

दिनांक : 24 जून, 2024

## ठेस अपशिष्ट प्रबन्धन रूल्स-2016 के अनुपालन एवं नगर को स्वच्छ बनाये रखे जाने हेतु शहरवासियों से अपील

**स्वच्छ  
धौरहरा  
सुन्दर  
धौरहरा**



**REUSE  
REDUCE  
RECYCLE**



### नगर पंचायत द्वारा कराये जा रहे डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य

- नगर पंचायत द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य हेतु 01 एजेंसी मेसर्स श्री बाला जी इंटरप्राइज चयनित की गयी है, जिनके द्वारा शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।
- शहरवासियों एवं समस्त व्यवसायियों से अपील है कि घरों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े का सेग्रेगेशन (सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग) करते हुये उक्त एजेंसी को देना सुनिश्चित करें। किसी भी गृहस्वामी/प्रतिष्ठान द्वारा कूड़े को एजेंसी को न देकर खाली प्लाटों, सड़क एवं नालियों में फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 में वर्णित सुसंगत धाराओं के अनुपालन कार्यवाही की जायेगी।

### खुले में शौच/यूरिनल न किये जाने हेतु।

- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर पंचायत धौरहरा शहर क्षेत्र को ओडीओएफ प्लस घोषित किया जा चुका है।
- नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील है कि वे शौच/मूत्र के लिये घरों में स्थित शौचालय/यूरिनल अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्मित सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय/यूरिनल का उपयोग करें। खुले में शौच/मूत्र न करें।
- नगर पंचायत के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच/यूरिनल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 200 रुपये जुमानी की कार्यवाही की जायेगी।

### बल्क वेस्ट जेनरेटर इकाईयों/प्रतिष्ठानों द्वारा कम्पोस्टिंग कराये जाने हेतु।

### कूड़े को खुले में डम्पिंग न किये जाने/कूड़े को न जलाये जाने, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु।

- ठेस अपशिष्ट कचरा प्रबन्धन नियम- 2016 दिनांक 08.04.2016 से अधिसूचना जारी है, जिसके अन्तर्गत एक दिन में 100 किग्रा व अधिक ठेस अपशिष्ट कचरा उत्सर्जित/उत्पन्न करने वाली संस्थायें व इकाईयां जैसे- होटल/रेस्टोरेंट/विवाह घर/हास्पिटल/ कालेज/विश्वविद्यालय/रेजिडेंस/ कैटीन / वेलफेर एसोसिएशन/ सब्जी मार्डी इत्यादि को ठेस अपशिष्ट निस्तारण/प्रोसेस हेतु आवश्यक क्षमता की कम्पोस्ट/आर्गेनिक कम्पोस्टिंग मशीन लगाया जाना आवश्यक है।
- समस्त प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों से अपेक्षा की जाती है कि अपने प्रतिष्ठानों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स- 2016 के अन्तर्गत आवश्यक क्षमता की कम्पोस्ट/आर्गेनिक कम्पोस्टिंग मशीन लगाया जाना सुनिश्चित करें। नगर पंचायत द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि उक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स- 2016 का अनुपालन नहीं पाया जाता है तो नगर पंचायत द्वारा प्रख्यापित उपनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

- माझ न्यायालय में योजित रिट पीटिशन (सिविल) संख्या - 13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य एवं प्रमुख सचिव नगर विकास के आदेश के क्रम में नगर के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कूड़े में आग लगाकर उसे जलाया न जाए।
- किसी के द्वारा ऐसा करना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध ₹ 5000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

### सी०एण्ड०डी० वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत मलवा निस्तारण का कार्य।

### प्रतिबन्धित पॉलिथीन

- नगर पंचायत धौरहरा नगर क्षेत्र के समस्त भवन एवं भू-स्वामियों से अपील की जाती है कि वे अपने भवनों की मरम्मत अथवा नये भवन के निर्माण के दौरान निकलने वाले मलवा (C&D Waste) को सार्वजनिक स्थलों पर न फेंकें।
- निर्माण एवं विध्वंसक सामग्री के निस्तारण हेतु नगर पंचायत के टोल फी नं० 1533 या मो० नम्बर 7800292426 पर समर्क करें। उक्त कार्य हेतु पंचायत द्वारा 400 रुपये प्रति टन दर से युजर चार्ज लिया जायेगा।
- नगर क्षेत्र के किसी भी भू-स्वामी/ठेकेदार/दुकानदार द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं सड़क पर निर्माण एवं विध्वंसक सामग्री एकत्र किया जाता है तो यह कृत्य (C&D Waste Management Rules - 2016, Environmental Protection Act & National Green Tribunal) नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश/ अदेश का उल्लंघन है, जिस हेतु नगर पंचायत अधिनियम- 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तर दायित्व निर्माण एवं विध्वंसक सामग्री उत्सर्जक का होगा।

- भारत सरकार का राजपत्र सं०- 459 नई दिल्ली 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट ३०४० के 15 जुलाई 2018 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन नगर पंचायत धौरहरा की सीमान्तर्गत 120 माइक्रोन से कम मोर्टाइ वाली प्लास्टिक या पीवीसी बैनर एवं थर्माकोल सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री, तथा उपयोग पर प्रतिबन्ध लागू है।
- इसके उपयोग, भण्डारण व आयात-नियर्त करने वालों के विरुद्ध शमन शुल्क का भी प्राविधान किया जाता है, जो ₹ 1000.00 से 25000.00 तक किया जा सकता है।
- नगर के सभी सम्मानित नागरिकों, प्रतिष्ठानों से अपील की जाती है कि प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात न किया जाए।
- नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कोई व्यक्ति/प्रतिष्ठान ऐसा करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शमन शुल्क वसूली के साथ-साथ सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**(दिनेश कुमार शुक्ल)**  
अधिकारी  
नगर पंचायत धौरहरा  
लखीमपुर-खीरी

**(नफीस खा)**  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत धौरहरा  
लखीमपुर-खीरी